से किस-किस श्रेणी के, कितने और किन-किन कर्मचारियों को प्रसारण कार्य के लिए दिल्ली बुलाया जाता है;

(ख) इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली दूरदर्शन में ऐसे कर्मचारियों के पद रिक्त पड़े हुए है और प्रत्येक बार विशेषतः इन केन्द्रों से ही और निर्धारित कर्मचारियों को ही किस आधार पर [illegible] जाता है;

(घ) क्या इन कर्मचारियों को दिल्ली स्थानांतरित करने से स्थानीय केन्द्रों के कार्यक्रम निर्माण और प्रसारण पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ता है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) संसदीय कार्यवाहियों के सीधे प्रसारण के अतिरिक्त कार्यभार निपटाने के लिए स्टाफ की आवश्यकता पूरा करने हेतु पिछले दो वर्षों के दौरान समय-समय पर दूरदर्शन केन्द्र अहमदाबाद और राजकोट से एक कैमरामैन ग्रेड-1, पांच कैमरामैन ग्रेड-2 तथा तीन वरिष्ठ इंजीनियरी सहायक एवं चार इंजीनियरी सहायक दौरा ड्यूटी पर दिल्ली बुलाए गए हैं।

(घ) और (ङ) कैमरामैन आदि की अस्थायी तैनाती की व्यवस्था इसलिए की जाती है कि इससे संबंधित दूरदर्शन का कार्य कम के कम प्रभावित हो।

दूरदर्शन महानिदेशक द्वारा सम्पत्तियों की खरीद के लिए मानदंड

685. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला**: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन महानिदेशक द्वारा प्रतिवर्ष अपने सभी दूरदर्शन केन्द्रों में कार्यक्रम निर्माण और प्रसारण के लिए सम्पत्तियों की खरीद की जाती है;

(ख) यदि हां, तो इन सम्पत्तियों की खरीद के लिए मानदंड और निर्धारित वित्तीय प्रावधान कितना है;

(ग) क्या सभी केन्द्रों के लिए यह मानदंड समान है और इन सम्पत्तियों के रख-रखाव के लिए सम्पत्ति सहायकों को नियुक्त किया गया है;

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान राजकोट दूरदर्शन के लिए कुल कितने मूल्य की ऐसी सम्पत्तियों को खरीदा गया और क्या इन सम्पत्तियों के लिए वहां किसी सम्पत्ति सहायक की नियुक्ति की गई थी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और क्या सरकार ने इस संबंध में स्थिति का आकलन करने हेतु कोई अध्ययन किया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) सामग्री की खरीद तथा रखरखाव बजट अनुदान में से ही उनकी आवश्यकता के अनुसार संबंधित केन्द्रों द्वारा किया जाता है। कुछ केन्द्रों में सम्पत्ति सहायक भी है।

(घ) दूरदर्शन केन्द्र, राजकोट ने प्रारंभ से स्वीकृत बजट अनुदान में से लगभग 10,000/-रु० मूल्य की निर्माण सामग्री खरीदी है। दूरदर्शन केन्द्र, राजकोट में सम्पत्ति सहायक का कोई स्वीकृत पद नहीं है। केन्द्र के एक प्रवर श्रेणी लिपिक को संबंधित कार्य दिया हुआ है।

(ङ) केन्द्र में सम्पत्ति सहायक की अनुपस्थिति में उक्त कार्य प्रवर श्रेणी लिपिक आदि को सौंपा जाता है।

Ordinance for Prasar Bharati Corporation

686. SHRI GURUDAS DAS GUPTA:
SHRI J. CHITHARANJAN:
Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the ordinance doing away with the 22 member committee of MPs to observe the functioning of Prasar Bharati Corporation was allowed to lapse by Government;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether Government propose to bring about some important amendments to the Prasar Bharati Act; if so, the details thereof?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SMT. SUSHMA SWARAJ): (a) Yes, Sir.

(b) The Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Amendment Ordinance, 1997 had removed or modified several important provisions in the principal Act relating to (i) Parliamentary Committee to oversee the functions of the Corporation; (ii) establishment of Broadcasting Council, to